**न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–1 अलवर**

**पीठासीन अधिकारी– धीरज शर्मा, आर.जे.एस.**

**(जिला न्यायाधीश संवर्ग)**

**जमानत प्रार्थनापत्र सं. 102/2026**

**सी.आई.एस. नम्बर–307/2026**

1. मिसरूप उर्फ ईसलूप पुत्र फज्जर उम्र 35 साल निवासी चोरगढी (मेवात गढी) पुलिस थाना खोह जिला डीग।

.....प्रार्थी–अभियुक्त

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक अलवर ....अप्रार्थी

जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–544/2024 ,पुलिस थाना मालाखेडा जिला अलवर, अपराध अन्तर्गत धारा 132, 109(1), 61(2)(क) बी एन एस व 3 पी डी पी पी एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट

उपस्थित :–
1. श्री मुनिराज सिंह चौहान, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी–अभियुक्तगण की ओर से।
2. श्री नवनीत तिवाडी, विद्वान अपर लोक अभियोजक राज्य की ओर से।

**आ दे श** **दिनांक 23.03.2026**

01. प्रार्थी–अभियुक्त **मिसरूप उर्फ ईसलूप** की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत यह जमानत प्रार्थना पत्र माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय अलवर के न्यायालय में पेश किया गया, जहां से निस्तारित हेतु अन्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है।

02. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादी विनोद कुमार, स.उ.नि. ने एक तहरीर रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करायी गयी कि दिनांक 26.12.2024 को मन स.उ.नि. विनोद कुमार मय पिस्टल व कारतूस मय जाब्ता मय वाहन सरकारी मय चालक वास्ते रात्रिकालीन गश्त एवं चैकिंग बदमाशान थाना से 10:45 पी एम पर रवाना होकर गश्त कर रहा था, दौराने गश्त समय 12:34 ए एम पर अकबर कानि. ने जरिये दुरभाभा सूचना दी कि ईको कार नम्बर एम पी 09 डब्ल्यू डी

7674 कलसाडा बाई पास से गिर्राज बैरवा के मकान के सामने से चोरी हो गयी है। उक्त सूचना पर नाकाबंदी के दौरान समय करीब 12:40 ए एम पर एक ईको कार ग्राम लीली की तरफ से तेज गति से आ रही थी तथा जिसको रूकवाने का प्रयास किया तो मन स.उ.नि. मय जाब्ता को जान से मारने की नियत से ईको कार को ऊपर चढाने का प्रयास किया, बडी मुश्किल से जान बचायी। उक्त ईको कार पर एम पी 09 डब्ल्यू पी 7674 की प्लेट लगी हुई थी, जो कलसाडा से चोरी हुई थी, जिस पर पुलिस कन्ट्रोल रूम को सूचना देते हुए मय हमराही जाब्ता उक्त कार का पीछा किया तो बारा भडकोल में उक्त कार में सवार बदमाशान द्वारा दौडती ईको कार में से स.उ.नि. मय हमराही जाब्ता को जान से मारने की नियत से दो बार हिट फायर किया, जो वाहन सरकारी जीप के रेडियेटर में लगा, जिससे वाहन डैमेज हो गया तथा वाहन ईको एवं बदमाशन का लगातार पीछा किया तो चिमरावली मोड के आगे लक्ष्मणगढ रोड पर उक्त वाहन ईको को छोडकर दो बदमाश खेतों में भाग गये, जिनका मन स.उ.नि. मय हमराही जाब्ता द्वारा पीछा किया गया, लेकिन मन स.उ.नि. मय जाब्ता एवं बदमाशान में फासला होने एवं अंधेरा होने के कारण खेतो में भाग गये। समस्त हालात एम एच ओ को बताये, जिस पर फोरेसिक टीम द्वारा वारदात में प्रयुक्त वाहन ईको एवं वाहन सरकारी जीप का निरीक्षण किया तो दौरान निरीक्षण वाहन में दो खाली कारतूस मिले, जिनको फोरेसिंक टीम की मौजूदगी में बतौर वजह सबूत जरिये फर्द जरिये फर्द जब्त कर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शील्ड मोहर कर मार्का ए अंकित किया गया । मौके पर समस्त कार्यवाही की।..... आदि आदि।

03. उक्त रिपोर्ट पर मुकामी पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 544/2024 अन्तर्गत धारा 132, 109(1) बी एन एस एवं धारा–3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान आरंभ किया गया, बाद अनुसंधान प्रार्थी अभियुक्त एवं सह अभियुक्तगण के विरूद्व अन्तर्गत धारा 132, 109(1) बी एन एस एवं धारा–3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में आरोप पत्र पेश किया गया। प्रार्थी–अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसे संबंधित न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां उनकी ओर से प्रस्तुत जमानत का आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दिनांक 21.02.2026 को अस्वीकार कर खारिज किया गया। तत्पश्चात प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

के तहत यह जमानत का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

04. प्रार्थी–अभियुक्त **मिसरूप उर्फ ईसलूप** के विरूद्ध पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड निम्न प्रकार है :–

| **कम संख्या** | **एफ आई आर नम्बर** | **अंतर्गत धारा** |
|---|---|---|
| 1. | 24/16 पीएस गोविन्दगढ, अलवर | 342, 395 आई पी सी |
| 2. | 218/15 पीएस खोह जिला भरतपुर | 323, 341, 324, 352, 34 आई पी सी एवं धारा 3/25 आर्म्स एक्ट |
| 3. | 279/12 पीएस नगर जिला भरतपुर | 332, 353, 307 आई पी सी एवं 3 पी डी पी पी एक्ट |
| 4. | 269/12 पीएस डीग जिला भरतपुर | 353, 307 आई पी सी |
| 5. | 303/12 पीएस डीग जिला भरतपुर | 395 आई पी सी |
| 6. | 217/12 पीएस कुम्हेर जिला भरतपुर | 395, 397 आई पी सी व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट |
| 7. | 295/12 पीएस नगर जिला भरतपुर | 379 आई पी सी |
| 8. | 205/11 पीएस पहाडी जिला भरतपुर | 3/25 आर्म्स एक्ट |
| 9. | 540/10 पीएस डीग जिला भरतपुर | 3/25 आर्म्स एक्ट |
| 10. | 22/10 पीएस गोविन्दगढ जिला अलवर | 308, 307, 450 आई पी सी व 3/25 आर्म्स एक्ट |
| 11. | 839/09 पीएस सीकरी जिला भरतपुर | 392 आई पी सी |
| 12. | 121/09 पीएस सीकरी जिला भरतपुर | 3/25 आर्म्स एक्ट |
| 13. | 149/16 पीएस डीग | 379, 215, 473 आई पी सी |
| 14. | 120/16 पीएस जुरहरा | 379, 411 आई पी सी व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट |
| 15. | 744/16 पीएस सेक्टर 7 फरीदाबाद | 379 आई पी सी |
| 16. | 117/16 पीएस खोह | 3/25 आर्म्स एक्ट |
| 17. | 44/16 पीएस बयाना जिला भरतपुर | 379 आई पी सी |

05. उभय पक्षों की जमानत प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त ने दौराने बहस निवेदन किया है कि प्रार्थी–अभियुक्त को इस प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थी–अभियुक्त से कोई अनुसंधान या बरामदगी शेष नहीं है। प्रार्थी–अभियुक्त काफी समय से पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में है, प्रकरण के निस्तारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थी– अभियुक्त को जमानत की सुविधा का लाभ दिया जावे।

06. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्को का विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध गम्भीर प्रकृति के अपराध का आरोप है। अतः उसका जमानत का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

07. उभय पक्षों को सुनकर केस डायरी का अवलोकन किया गया। केस डायरी के अवलोकन से प्रकट होता है कि सह अभियुक्तगण मौसम एवं हसन मौहम्मद का जमानत प्रार्थना पत्र माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है, किन्तु उक्त जमानत प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रकरण में पुलिस दल पर गोली बारी का मुख्य आक्षेप हस्तगत प्रार्थी अभियुक्त मिसरूप एवं एक अन्य सद्दाम पर होने के कारण एवं सहअभियुक्तगण की प्रत्यक्ष संलिप्तता नहीं पाते हुए स्वीकार किया गया था, किन्तु प्रकरण में प्रार्थी अभियुक्त की सक्रिय भूमिका दृष्टिगत रही है एवं उसके द्वारा पुलिस दल पर फायर किये जाने का आक्षेप है।

08. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी अभियुक्त पर इसी प्रकार के लगभग 17 प्रकरण पूर्व में लंबित है। जिसमें से कई प्रकरण पुलिस दल पर प्राणघातक हमले किये जाने से संबंधित प्रकट हुए हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी–अभियुक्त के अपराध की प्रकृति, गंभीरता एवं प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियो को देखते हुए, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी नहीं करते हुए प्रार्थी–अभियुक्त को इस स्तर पर जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।.

**–: आ दे श :–**

09. परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **मिसरूप उर्फ ईसलूप** की ओर से प्रस्तुत जमानत का यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

**(धीरज शर्मा)**

10. आदेश आज दिनांक 23.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

**(धीरज शर्मा)**